संख्या-46/2024/I/497579/2024/23-11099(099)/94/2023

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 16/02/2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-7493/CE-HQ1/RY(SH)/LKO/2023-24, दिनांक 25-01-2024, पत्र संख्या-7494/CE-HQ1/RY(SH)/ADY/2023-24, दिनांक 25-01-2024, पत्र संख्या-7562/CE-HQ1/RY(SH)/BAN/2023-24, दिनांक 31-01-2024, पत्र संख्या-7609/CE-HQ1/RY(SH)/VNS/2023-24, दिनांक 03-02-2024, पत्र संख्या-7672/CE-HQ1/RY(SH)/AZM/2023-24, दिनांक 14-02-2024, पत्र संख्या-7676/CE-HQ1/RY(SH)/GKP/2023-24, दिनांक 14-02-2024 एवं पत्र संख्या-7677/CE-HQ1/RY(SH)/VNS/2023-24, दिनांक 14-02-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के अधोलिखित 07 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 5093.41 लाख (रू0 पचास करोड़ तिरानबे लाख इकतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि0ख0-1 रायबरेली	जनपद रायबरेली में रायबरेली-डलमऊ-फतेहपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-13ए) के कि0मी0 4.360 से कि0मी0 5.050 (लम्बाई 0.700 कि0मी0) का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण व आबादी भाग में यू-टाइप ड्रेन का कार्य।	728.93 728.93 113.98 614.95	319.70	157.58	42.42	200.00
2	प्रा0ख0 सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर के उतरौला अयोध्या प्रयागराज राज्य मार्ग सं0-9 के चैनेज 134.61 से 139.13 (लम्बाई 3.64 कि0मी0) (गोलाघाट से आजाद पार्क होते हुए पयागीपुर तक शहरी भाग) के चार लेन चौड़ीकरण का कार्य।	1514.39 1514.39 95.31 1419.08	1298.00	95.40	25.68	121.08
3	नि0ख0-1 बांदा	जनपद बांदा में बिसण्डा ओरन पहाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-133) के कि0मी0 1 से 23.700 तक (लम्बाई 23.70 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	3929.35 3600.50 347.35 3253.15	3090.49	128.16	34.50	162.66

4	प्रा0ख0 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-67) के चै0 14.440 से 34.000 तक (लम्बाई 19.56 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	6176.85 6176.85 1053.52 5123.33	3625.04	978.67	263.45	1242.12
5	प्रा0ख0 मऊ	जनपद आजमगढ़/मऊ में लखनऊ बलिया मार्ग के चैनेज 285.00 से 316.506 कि0मी0 तक मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-34) का 04 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (अजमगढ़ से मऊ तक का भाग, लम्बाई 31.506 कि0मी0) कार्य।	31870.73 31870.73 442.45 31428.28	26834.67	2381.18	641.01	3022.19
6	नि0ख0 महराजगंज	जनपद महराजगंज में फरेन्दा में एस0एच0-129ए फरेन्दा बृजमनगंज लोटन मोहना मार्ग का अवशेष शहरी भाग (फरेन्दा) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 3.70 कि0मी0)।	3477.10 3477.00 202.00 3275.00	3111.25	129.02	34.73	163.75
7	नि0ख0-2 जौनपुर	जनपद जौनपुर में सुजानगंज-केराकत-सुल्तानपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-151) के चैनज 0.000 से 14.870 एवं 47.680 से 69.200 तक (लम्बाई 36.39 कि0मी0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	3706.57 3706.57 74.48 3632.09	3450.48	143.09	38.52	181.61
योग:-					**4013.10**	**1080.31**	**5093.41**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 40,13,10,000(रूपये चालीस करोड़ तेरह लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033370303 राज्य राज मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रूपये 10,80,31,000(रूपये दस करोड़ अस्सी लाख इकत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890300 राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in